FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत SDO रैणी

मुकाम

बनेश देवी

बनाम TDR

किस्म मुकदमा

नं. ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/12/21	आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से राज्य सरकार के निर्देशों की प[illegible] में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कीलपुर खेड़ा..... में दिनांक 14/12/21 [illegible] पेश हुई। पक्षकारान [illegible] ग्राम पंचायत कीलपुर खेड़ा [illegible] नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 14/12/21 को कैम्प कोर्ट/ राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत कीलपुर खेड़ा पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर	
14/12/21	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कीलपुर खेड़ा में पेश हुई। उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच रिपोर्ट तहसीलदार रैणी के द्वारा मौके पर करवायी गई। मुताबिक जाँच रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थिनी का नाम अपने पिता की विरासत के दौरान प्रार्थिनी का नाम का गलत इन्द्राज हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र 136 LR Act स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। नकल मिसल दफ्तर दाखिल हो। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कीलपुर खेड़ा उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)	